[2021] 4 एस. सी. आर 169

सुखबीर

वी.

अजीत सिंह

(2021 की सिविल अपील संख्या 1653)

30 अप्रैल, 2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और

एम. आर. शाह, जे. जे.]

विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963: धारा 21-क्षतिपूर्ति देने की शक्ति-भूमि बेचने का समझौता-वादी-खरीदार ने रु। 31. 5 लाख

Rs.32 लाख में से-प्रतिवादी की ओर से बिक्री निष्पादित करने में विफलता

बिक्री के समझौते के संदर्भ में विलेख-विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमा मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अधिग्रहित भूमि-निचली अदालत ने विशिष्ट निष्पादन के लिए डिक्री पारित की जिसमें प्रतिवादी को शेष राशि प्राप्त करने पर बिक्री विलेख निष्पादित करने का निर्देश दिया गया।

अपील की गई: प्रतिवादी द्वारा वादी के पक्ष में बेचने के समझौते के निष्पादन पर नीचे दी गई सभी अदालतों द्वारा तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं; रुपये का भुगतान। 31.50 आंशिक बिक्री पर विचार और तैयारी और इच्छा के लिए लाख वादी को रुपये की शेष बिक्री का भुगतान करना। 50,000 /

इसलिए, वादी विशिष्ट निष्पादन के लिए डिक्री का हकदार है-हालाँकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि निचली अदालत द्वारा अंतिम डिक्री पारित किए जाने से पहले, विचाराधीन भूमि का अधिग्रहण किया गया था और इसलिए, वादी को माना जाएगा

प्रतिवादी के स्थान पर और प्रतिवादी के भूमि अधिग्रहण प्रस्तुतिकरण के तहत निर्धारित और प्रदत्त मुआवजे की राशि का हकदार होगा, जिसमें कोई सार नहीं है कि

वादी द्वारा अधिनियम मुआवजे के लिए विशेष रूप से अनुरोध नहीं किया गया था

वाद पर विचार करते हुए भी वादी मुआवजे की किसी भी राशि का हकदार नहीं होगा। 21 विशिष्ट राहत अधिनियम-के लिए डिक्री

क्षतिपूर्ति को एक वैकल्पिक डिक्री के रूप में पारित किया जाता है और इसके बदले में विशिष्ट निष्पादन के लिए डिक्री-उच्च न्यायालय ने उचित रूप से माना कि

वादी मुआवजे की पूरी राशि का हकदार होगा।

ब्याज और मुआवजे के साथ एक साथ प्रदान किया गया-हालांकि, एक ही समय में, प्रतिवादी-मूल भूमि मालिक भी इसके हकदार होंगे

सेवाओं के धन मूल्य की कटौती, मुआवजे के दावों को आगे बढ़ाने में खर्च किया गया समय और शक्ति और

मुकदमेबाजी में उनके द्वारा किया गया खर्च जो पुरस्कार में समाप्त होता है।

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 प्रतिवादी द्वारा वादी के पक्ष में बेचने के समझौते के निष्पादन पर नीचे दी गई सभी अदालतों द्वारा तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं; रु. 31,50,000 / - वादी द्वारा प्रतिवादी को आंशिक बिक्री पर विचार के लिए (रुपये की कुल बिक्री पर विचार में से। 32 लाख) और वादी की तैयारी और रुपये की शेष बिक्री का भुगतान करने की इच्छा। 50,000 / - . इसलिए, वादी विशिष्ट निष्पादन के लिए डिक्री का हकदार होगा। हालाँकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि निचली अदालत द्वारा अंतिम डिक्री पारित किए जाने से पहले, विचाराधीन भूमि का अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया गया था और इसलिए उच्च न्यायालय के समक्ष सवाल उठा कि वादी किस राहत का हकदार होगा यदि विशिष्ट निष्पादन की डिक्री को एक वैकल्पिक डिक्री द्वारा संशोधित करने की आवश्यकता है। [पैरा 7] [175 एच; 176-ए-सी]

1.2 जगदीश सिंह और उर्मिला देवी में इस अदालत द्वारा निर्धारित कानून को हाथ में मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है

कि उच्च न्यायालय ने विशिष्ट निष्पादन के लिए डिक्री को संशोधित करने में कोई त्रुटि की है। जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से अभिनिर्धारित किया गया है, वादी को प्रतिवादी के स्थान पर माना जाएगा और इसलिए वह भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्धारित और प्रदत्त मुआवजे की राशि का हकदार होगा। [पैरा 9] [178-बी-सी]

जगदीश सिंह बनाम। नट्टू सिंह (1992) 1 एस. सी. सी. 647: [1991] 2 पूरक। एस. सी. आर. 567; उर्मिला देवी बनाम। देवता, मंदिर श्री चामुंडा देवी (2018) 2 एस. सी. सी. 284 [2018] 1

एस. सी. आर. 797 पर भरोसा किया।

2. अब जहाँ तक अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत करने की बात है

कि मुआवजे के रूप में सुखबीर v द्वारा विशेष रूप से प्रार्थना नहीं की गई है।

मुकदमे में वादी, वादी विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 21 पर विचार करते हुए भी मुआवजे की किसी भी राशि का हकदार नहीं होगा। उपरोक्त में कोई सार नहीं है। मुआवजे के लिए डिक्री एक वैकल्पिक डिक्री के रूप में और डिक्री के बदले में पारित की जाती है

विशिष्ट प्रदर्शन। [पैरा 10] [178-सी-डी]

3. अब जहाँ तक मुआवजे की राशि का संबंध है,

जगदीश सिंह के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए अवलोकन के अनुसार, भूमि के तहत निर्धारित और अधिनिर्णय किया गया मुआवजा

अधिग्रहण अधिनियम को सुरक्षित रूप से ध्यान में रखा जा सकता है। इसलिए,

उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा है और अभिनिर्धारित किया है कि वादी भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत दिए गए मुआवजे की पूरी राशि के साथ-साथ ब्याज और सोलेटियम। हालांकि, साथ ही, प्रतिवादी-मूल भूमि मालिक भी इसमें खर्च की गई सेवाओं, समय और ऊर्जा के धन मूल्य की कटौती का हकदार होगा।

मुआवजे के दावों और मुकदमे में उसके द्वारा किए गए खर्च का पीछा करना जो पुरस्कार में समाप्त होता है। इस प्रकार, अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि अपीलार्थी द्वारा कोई खर्च किया गया है। हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और जगदीश सिंह और उर्मिला देवी के मामलों में इस अदालत के फैसलों पर विचार करते हुए, न्याय का अंत तब होगा जब वादी को मुआवजे की पूरी राशि दी जाएगी।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत ब्याज और रुपये से कम के मुआवजे के साथ निर्धारित किया जाता है। 2,50,000 / - + Rs.50,000/- (शेष बिक्री पर विचार के लिए)। [पैरा 11] [178-डी-एच]

मामला कानून संदर्भ

[1991] 2 पूरक। एससीआर 567

उस पर भरोसा करें

पै

रा 3.1

[2018] 1 एससीआर 797

उस पर भरोसा करें

पै

रा 6

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 1653

2021 से।

उच्च न्यायालय के 23.09.2016 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2016 के आर. एस. ए. सं. 4848 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा सरकार द्वारा।

सुशील सरदाना, शफीक अहमद, कौशल यादव, अधिवक्ता। के लिए

अपीलार्थी।

राकेश तालुकदार, अभिमन्यु तिवारी, अंकित जगलान, आश्रय चोपड़ा,

अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

हरियाणा में आर. एस. ए. सं. <आई. डी. 1 में चंडीगढ़ में, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने विशिष्ट निष्पादन के लिए निर्णय और डिक्री को संशोधित करने वाली उक्त दूसरी अपील का निपटारा किया है, जिसे बेचने के लिए एक विशिष्ट समझौते के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जो मूल वादी के पक्ष में इस हद तक था कि प्रतिवादी मूल वादी को विक्रेता के स्थान पर रखा गया माना जाएगा और वह मुआवजे की पूरी राशि का हकदार होगा। भूमि के अधिग्रहण के कारण ऋण और ब्याज आदि के साथ, मूल प्रतिवादी ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

2. संक्षेप में वर्तमान अपील की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैं:

कि बेचने का समझौता अपीलार्थी द्वारा निष्पादित किया गया था-मूल प्रतिवादी (इसके बाद 'प्रतिवादी' के रूप में संदर्भित) के पक्ष में प्रत्यर्थी-कुल बिक्री के लिए विचाराधीन भूमि के संबंध में 9.3.2010 पर मूल वादी (इसके बाद 'वादी' के रूप में संदर्भित)

रु. 32 लाख, वादी ने रुपये का भुगतान किया। 31 , 50,000 / - अभियुक्त के लिए। कि समझौते के अनुसार बिक्री विलेख को 8.7.2010 पर निष्पादित किया जाना था। उस पर बिक्री विलेख को निष्पादित करने में प्रतिवादी की विफलता, वादी ने 13.7.2020 दिनांकित एक कानूनी नोटिस दिया जिसमें प्रतिवादी से बिक्री विलेख को निष्पादित करने के लिए 6.8.2010 पर उप-पंजीयक के कार्यालय में उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया। लेकिन उप-पंजीयक के कार्यालय में उक्त तिथि पर उपस्थित रहने के बजाय, प्रतिवादी ने 4.8.2010 पर ऐसा करने से इनकार कर दिया। कि इसके बाद वादी ने 5.8.2010 सिविल सूट नं. आर. बी. टी.-34/2010 विद्वत सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ प्रभाग, झज्जर, हरियाणा के न्यायालय में

विचाराधीन भूमि को बेचने और उसका अधिकार सौंपने के समझौते का निष्पादन। एक वैकल्पिक प्रार्थना के माध्यम से, रुपये की वसूली के लिए प्रार्थना की गई थी। 31,50,000 / - 9.3.2010 से भुगतान की तारीख तक 24 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ। कि मुकदमा दायर करने के बाद लेकिन अंतिम डिक्री पारित करने से पहले, विचाराधीन भूमि अधिग्रहण निकाय द्वारा अधिग्रहित की गई जिसके लिए धारा 6 के तहत एक अधिसूचना जारी की गई

भूमि अधिग्रहण अधिनियम 6.7.2012 पर जारी किया गया था। कि विद्वत विचारण न्यायालय ने 19.12.2012 दिनांकित निर्णय और डिक्री द्वारा मुकदमे का फैसला सुनाया और विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक डिक्री पारित की। कि विद्वत विचारण न्यायालय ने विशेष रूप से सुखबीर बनाम के निष्पादन पर वादी के पक्ष में निष्कर्ष दिए।

अजीत सिंह [एम. आर. शाह, जे.]

बेचने के समझौते का; वादी की ओर से तैयारी और इच्छा। कि विद्वत विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी को रुपये की शेष बिक्री पर विचार प्राप्त करके वादी के पक्ष में बिक्री विलेख को निष्पादित करने का निर्देश दिया। 50,000 / - और वाद संपत्ति का कब्जा वादी को सौंप दें। विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री की विद्वत प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई।

इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अध्ययन परीक्षण से पहले

3. प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना, प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील आर. एस. ए. सं. 4848/2016 को प्राथमिकता दी। उच्च न्यायालय के समक्ष, प्रतिवादी की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विचाराधीन भूमि का अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया गया है, प्रतिवादी को वाद संपत्ति में कोई बिक्री योग्य अधिकार और ब्याज नहीं है और इसलिए बेचने के समझौते को निष्पादित नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादी द्वारा वादी के पक्ष में बेचने के समझौते के निष्पादन पर विद्वान निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों पर प्रतिवादी की ओर से गुण-दोष पर प्रस्तुतियाँ भी की गईं; रुपये स्वीकार करना। 31,50,000 / - आंशिक बिक्री विचार के माध्यम से; और वादी की ओर से रुपये की शेष बिक्री विचार का भुगतान करने की तैयारी और इच्छा। 50,000 / - .

3.1 वादी की ओर से जगदीश सिंह बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भारी निर्भरता रखी गई थी। नट्टू सिंह,

(1992) 1 एससीसी 647। यह प्रस्तुत किया गया था कि इस न्यायालय के समक्ष एक समान स्थिति उत्पन्न हुई थी जहां वाद के लंबित रहने के दौरान विचाराधीन भूमि का अधिग्रहण किया गया था और विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 21 पर विचार करने के बाद इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वादी मुआवजे की राशि की वसूली के लिए मूल भूमि मालिक-विक्रेता द्वारा किए गए मुकदमे की लागत को कम करते हुए ब्याज और मुआवजे के साथ मुआवजे के सभी लाभ लेने का हकदार है। 3.2 उच्च न्यायालय ने इसे स्वीकार कर लिया और जगदीश सिंह (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का पालन करने के बाद, प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित विशिष्ट प्रदर्शन के लिए निर्णय और डिक्री को संशोधित किया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि वादी को प्रतिवादी [2021] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4. उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, मूल प्रतिवादी ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है। 5. प्रतिवादी की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री सुशील सरदाना ने जोर देकर कहा है कि तथ्यों में और

मामले की परिस्थितियाँ और विशेष रूप से जब

भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के मुकदमे के लंबित होने पर, प्रतिवादी को मुकदमे की संपत्ति में कोई बिक्री योग्य अधिकार और ब्याज नहीं था और इसलिए बेचने के समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए कोई राहत पारित नहीं की जा सकती थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तव में प्रतिवादी-अपीलार्थी द्वारा यहाँ की गई अपील में उच्च न्यायालय ने विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को संशोधित किया है, जिसकी पुष्टि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने की है, और यह अभिनिर्धारित किया है कि विशिष्ट निष्पादन के लिए डिक्री के बदले में, वादी मुआवजे और ब्याज के साथ मुआवजे की पूरी राशि का हकदार होगा।

5.1 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 73 के तहत विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 21 को ध्यान में रखते हुए, वादी

अधिकांश ब्याज के साथ भुगतान की गई बिक्री राशि की वापसी के हकदार होंगे।

5.2 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में वादी ने कभी भी किसी मुआवजे का दावा नहीं किया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 21 (1) के अनुसार यदि प्रतिवादी द्वारा अनुबंध तोड़ा जाता है, तो उस स्थिति में, मुआवजा दिया जा सकता है, लेकिन फिर से धारा 21 (5) में कहा गया है कि धारा 21 के तहत कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा जब तक कि -

वादी ने अपनी शिकायत में इस तरह के मुआवजे का दावा किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में वादी ने स्वयं एक वैकल्पिक प्रार्थना द्वारा प्रार्थना की कि यदि विशिष्ट प्रदर्शन किसी भी कारण से नहीं किया जा सकता है, तो

उस घटना में, रुपये की वापसी के लिए डिक्री। 31,50,000 / - 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ पारित किया जा सकता है।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि नीचे दी गई अदालतों द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को ध्यान में रखते हुए, वादी की वसूली का अधिकार होगा

रुपये की राशि। 31,50,000 / - केवल ब्याज के साथ। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सुखबीर बनाम।

अजीत सिंह [एम. आर. शाह, जे.]

6. वर्तमान अपील का विरोध करते हुए, वादी की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश तालुकदार ने जगदीश सिंह (उपरोक्त) के मामलों में इस न्यायालय के फैसलों पर बहुत अधिक भरोसा किया है। और उर्मिला देवी बनाम। देवता, मंदिर श्री चामुंडा देवी, (2018) 2 एस. सी. सी. 284। यह प्रस्तुत किया जाता है कि दोनों मामलों में इस न्यायालय को विशिष्ट की धारा 21 पर की गई प्रस्तुति पर विचार करने का अवसर मिला था।

राहत अधिनियम और इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मूल वादी भूमि के तहत दिए गए मुआवजे की राशि का हकदार होगा।

अधिग्रहण अधिनियम प्रतिवादी-मूल भूमि मालिक द्वारा मुआवजा प्राप्त करने के लिए किए गए खर्चों की राशि को कम करता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रतिवादी द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत मुआवजे की राशि प्राप्त करने के लिए कोई राशि खर्च की गई थी।

6.1 वादी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि जगदीश सिंह के मामले में इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है।

(उपर्युक्त), जिस पर बाद में इस न्यायालय द्वारा उर्मिला देवी (उपर्युक्त) के मामले में विचार किया गया है, विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 21 को ध्यान में रखते हुए जब वादी की बिना किसी गलती के अनुबंध असंभव हो जाता है, तो विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 21 न्यायालय को विशिष्ट निष्पादन के बदले और प्रतिस्थापन में मुआवजा देने में सक्षम बनाती है।

6.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहां तक बेचने के समझौते के निष्पादन पर निष्कर्ष है; रुपये की बिक्री पर विचार का भुगतान। 31,50,000 और बिक्री की शेष राशि का भुगतान करने की तैयारी और इच्छा विचार करने पर, तीनों न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं जो नीचे रिकॉर्ड पर साक्ष्य की सराहना पर हैं।

6.3 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, वर्तमान अपील को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

7. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को सुना है

लंबाई में। शुरुआत में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इस तरह [2021] 4 एस. सी. आर. पर नीचे दी गई सभी अदालतों द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के समवर्ती निष्कर्ष हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रतिवादी द्वारा वादी के पक्ष में बेचने के समझौते का निष्पादन; रु। 31,50,000 / - वादी द्वारा प्रतिवादी को आंशिक बिक्री पर विचार के लिए (रुपये की कुल बिक्री पर विचार में से। 32 लाख) और वादी की तैयारी और रुपये की शेष बिक्री का भुगतान करने की इच्छा। 50,000 / - . इसलिए, वादी विशिष्ट निष्पादन के लिए डिक्री का हकदार होगा। तथापि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री पारित किए जाने से पहले, विचाराधीन भूमि का अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया गया था और इसलिए उच्च न्यायालय के समक्ष सवाल उठा कि वादी किस राहत का हकदार होगा यदि विशिष्ट निष्पादन की डिक्री को एक वैकल्पिक डिक्री द्वारा संशोधित करने की आवश्यकता है।

7.1 जगदीश सिंह (ऊपर) और उर्मिला देवी (ऊपर) के मामलों में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा करना और संविधान की धारा 21 पर विचार करना। विशिष्ट राहत अधिनियम, उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय और आदेश द्वारा विशिष्ट निष्पादन के लिए निर्णय और डिक्री को संशोधित किया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि वादी मुआवजे की राशि का हकदार होगा क्योंकि वादी की ओर से कोई गलती नहीं थी। यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि वादी भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत दिए गए मुआवजे की राशि के साथ-साथ मुआवजे के रूप में ब्याज और मुआवजे का हकदार होगा। इसलिए, इस न्यायालय के विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न पूछा जाता है, वह यह है कि क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय विशिष्ट निष्पादन के लिए विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को संशोधित करने में उचित है?

8. जगदीश सिंह (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा एक समान प्रश्न पर विचार किया गया। इस न्यायालय के समक्ष मामले में, विद्वत विचारण न्यायालय के साथ-साथ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमे को खारिज कर दिया। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील में निचली अदालतों के निष्कर्षों को उलट दिया और कहा कि वादी अनुबंध करने के लिए तैयार और इच्छुक था और डिक्री का हकदार था। हालांकि, उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील के लंबित रहने के दौरान, भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए कार्यवाही शुरू की गई और भूमि का अधिग्रहण किया गया। इसलिए, यह सवाल उठा कि क्या वादी भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में प्राप्त मुआवजे की राशि का हकदार था या केवल बकाया राशि की वापसी का हकदार था। उच्च न्यायालय ने अधिग्रहण के बदले में देय मुआवजे की प्राप्ति के लिए डिक्री के साथ अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के डिक्री को संशोधित किया। यह मामला इस अदालत के समक्ष उठाया गया था।

सुखबीर बनाम। अजीत सिंह [एम. आर. शाह, जे.]

विनिर्दिष्ट राहत अधिनियम की धारा 21 का उल्लेख करने के बाद, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि जहां वादी की कोई गलती नहीं होने का अनुबंध असंभव हो जाता है, धारा 21 बदले में मुआवजे के अधिनिर्णय को सक्षम बनाती है और विशिष्ट प्रदर्शन का प्रतिस्थापन। जहाँ तक मुआवजे की राशि का निर्धारण किया जाता है, इस न्यायालय ने कहा और अभिनिर्धारित किया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत दिए गए मुआवजे को निश्चित रूप से नुकसान का माप माना जा सकता है, बशर्ते कि मूल भूमि मालिक द्वारा मुआवजे के दावों को आगे बढ़ाने में खर्च की गई सेवाओं, समय और शक्ति के धन मूल्य की कटौती, और मुकदमे में उसके द्वारा किए गए खर्च को निर्णय में समाप्त किया जाए। पैरा 24,29 और 30 में इसे निम्नानुसार मनाया और माना गया हैः

" 24. जब वादी ने अपने विकल्प से निर्दिष्ट किया हो

प्रदर्शन असंभव है, धारा 21 उसे मांग करने का अधिकार नहीं देती है

नुकसान होता है। यह स्थिति लॉर्ड केयर्न की धारा 2 दोनों के लिए समान है।

अधिनियम, 1858 और विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 21। लेकिन इसमें भारतीय कानून जहां अनुबंध, वादी की गलती के बिना, बन जाता है

निष्पादन का असंभव धारा 21 पुरस्कार को सक्षम बनाती है विशिष्ट निष्पादन के बदले में क्षतिपूर्ति और प्रतिस्थापन।

X

XX

XXX

XXX

29. वर्तमान मामले में मूल्यांकन करने में कोई कठिनाई नहीं है

मुआवजे की राशि। यह संदर्भ के साथ सुनिश्चित किया जा सकता है

कार्यवाही। दिए गए मुआवजे को सुरक्षित रूप से ले जाया जा सकता है निश्चित रूप से, कटौती के अधीन नुकसान का माप हो

सेवाओं, समय और ऊर्जा के धन मूल्य से

मुआवजे के दावों का पीछा करने में अपीलार्थी द्वारा खर्च किया गया और मुकदमे में उसके द्वारा किए गए खर्च की परिणति

पुरस्कार।

30. हम तदनुसार उच्च न्यायालय के निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं कि

प्रत्यर्थी अनुबंध करने के लिए तैयार और तैयार था और

कि यह अपीलार्थी ही था जो उल्लंघन कर रहा था। हालांकि, इसमें

विशिष्ट निष्पादन के लिए डिक्री का प्रतिस्थापन, हम एक

मुआवजे के लिए डिक्री, भूमि की राशि के बराबर मुकदमे के लिए दिए गए अधिग्रहण मुआवजे के साथ-साथ

सोलेटियम और उपार्जित ब्याज, रुपये 1,50,000 (एक लाख) से कम

केवल पचास हजार) जो, एक मोटे और तैयार अनुमान से, हम

अपीलार्थी को उसके [2021] 4 एस. सी. आर. के संबंध में भुगतान की जाने वाली राशि की मात्रा निर्धारित करें।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कानूनी दावों को पूरा करने में खर्च की गई सेवाएं, समय और धन

मुआवजे के लिए "।

उर्मिला देवी (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय ने उपरोक्त दृष्टिकोण का पालन किया है।

9. हाथ में मामले के तथ्यों पर उपरोक्त दो फैसलों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय ने विशिष्ट उद्देश्यों के लिए डिक्री को संशोधित करने में कोई त्रुटि की है।

प्रदर्शन। जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से अभिनिर्धारित किया गया है, वादी को प्रतिवादी के स्थान पर माना जाएगा और इसलिए वह भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्धारित और प्रदत्त मुआवजे की राशि का हकदार होगा।

वाद, वादी विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 21 पर विचार करते हुए भी मुआवजे की किसी भी राशि का हकदार नहीं होगा। उपरोक्त कोई पदार्थ नहीं है। मुआवजे के लिए डिक्री एक वैकल्पिक डिक्री के रूप में और विशिष्ट प्रदर्शन के लिए डिक्री के बदले में पारित की जाती है।

11. अब जहां तक मुआवजे की राशि का संबंध है, जैसा कि इस न्यायालय ने जगदीश सिंह (उपरोक्त) के मामले में कहा है,

भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत निर्धारित और दिए गए मुआवजे पर सुरक्षित रूप से विचार किया जा सकता है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा है और कहा है कि वादी भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत दिए गए मुआवजे की पूरी राशि का हकदार होगा। ब्याज और सॉलेटियम के साथ। हालांकि, साथ ही, प्रतिवादी-मूल भूमि मालिक भी मुआवजे के दावों को आगे बढ़ाने में खर्च की गई सेवाओं, समय और शक्ति के धन मूल्य और मुकदमे में उसके द्वारा किए गए खर्च की कटौती का हकदार होगा। इस प्रकार, अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि अपीलार्थी द्वारा कोई खर्च किया गया है। हालाँकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और जगदीश सिंह (ऊपर) और उर्मिला देवी (ऊपर) के मामलों में इस न्यायालय के फैसलों पर विचार करते हुए, न्याय का उद्देश्य पूरा किया जाएगा यदि वादी को भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत निर्धारित मुआवजे की पूरी राशि ब्याज और रुपये से कम मुआवजे के साथ दी जाती है। 2,50,000 / - + Rs.50,000/- (शेष बिक्री पर विचार के लिए)।

12. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील का निपटारा विवादित निर्णय और सुखबीर v को संशोधित करके किया जाता है।

अजीत सिंह [एम. आर. शाह, जे.]

उच्च न्यायालय द्वारा इस हद तक पारित आदेश जिसमें यह निर्देश और अभिनिर्धारित किया गया है कि वादी-प्रतिवादी भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के तहत दिए गए मुआवजे और ब्याज के साथ मुआवजे की पूरी राशि की वसूली करने का हकदार होगा, जिसके बारे में बताया गया है कि वह विचाराधीन भूमि के संबंध में अधिग्रहण निकाय के पास है/जमा है।

माइनस रु। 3,00,000 / - (रु. 2,50,000 / - उन खर्चों के लिए जो मुआवजे के दावों को आगे बढ़ाने में किए गए हो सकते हैं और मुकदमेबाजी में उसके द्वारा किया गया खर्च जो पुरस्कार में समाप्त होता है + रु। 50,000 / - शेष बिक्री पर विचार करने के लिए)। इसलिए, अपीलार्थी-प्रतिवादी रुपये का हकदार होगा। 3,00,000 / - की राशि से

अधिग्रहित निकाय के पास जमा किया गया मुआवजा और ब्याज और मुआवजे के साथ मुआवजे की शेष राशि का भुगतान किया जाना है।

मूल वादी।

13. अपील की आंशिक रूप से केवल उपरोक्त सीमा तक ही अनुमति है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित शेष निर्णय और आदेश की पुष्टि की जाती है।

कोई लागत नहीं।

देविका गुजराल

अपील

की आंशिक रूप से अनुमति है।